क्रमांक 5024-1 जी: एस: 1-72/26877

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग,
चण्डीगढ़ ।

2. सचिव, अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल,
हरियाणा, चण्डीगढ़

दिनांक, चण्डीगढ़ 8-9-72

विषय :– हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल द्वारा बनाई गई प्रतीक्षा सूची में से उम्मीदवारों की नियुक्ति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान सरकार के परिपत्र क्रमांक 2341-1 जी: एस: 1-7215627, दिनांक 26-5-72 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं और कहूं कि इस पत्र के पैरा 1(क) में यह सूचित किया गया था कि जब हरियाणा लोक सेवा आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल किसी विभाग को उनके मांग पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अपनी सिफारिशें भेजेंगे तो आयोगबोर्ड विभाग द्वारा सूचित की गई रिक्तियों की संख्या अतिरिक्त 5 एक्सट्रा उम्मीदवारों के नामों की भी सिफारिश करेंगे ।

2. सरकार ने इस मामले पर आगे विचार किया है तथा यह निर्णय किया हैं कि जो 5 एक्सट्रा नामों की सूची आयोग/अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल भेजेंगे, इनमें से तीन नाम तो ओपन मार्कीट के उम्मीदवारों के होंगे तथा एक-एक नाम अनुसूचित जाति तथा भूतपूर्व सैनिकों से संबंध रखने वाले उम्मीदवार का होगा । अतिरिक्त रिक्तियों पर नियुक्तियां ब्लाक सिस्टम के मुताबिक ही की जाया करेंगी और यदि ब्लाक-सिस्टम के मुताबिक नियुक्ति की बारी किसी ऐसी श्रेणी के उम्मीदवार की आती है जिसका नाम अतिरिक्त 5 नामों में आयोग/बोर्ड ने न भेजा हो या यदि भेजा हो तो पर्याप्त मात्रा में न भेजा हो, तब विभाग रोटेशन के मुताबिक आयोग को लिखकर उसी श्रेणी के उम्मीदवार का नाम मंगवा लेंगे और इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आयोग द्वारा भेजे गए 5 अतिरिक्त नामों में से कुछ नाम (जो विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के होंगे) उनके पास बचे हुए हों ।

3. इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि जब विभाग ने आयोग/बोर्ड द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों में से किसी उम्मीदवार का कैण्डीडेचर इस कारण रिजैक्ट करना हो कि उसने पद का कार्यभार निश्चित समय में नहीं सम्भाला, और उसके बदले में इन 5 अतिरिक्त नामों में से नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़े तो ऐसे केस में नए उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले विभाग द्वारा मुख्य सचिव सामान्य सेवाएं-1 शाखा को मामला भेजा जाएगा और मुख्य सचिव की अनुमति प्राप्त होने पर ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा । मुख्य सचिव सामान्य सेवाएं-1 शाखा द्वारा इस बात की तसल्ली की जानी होगी कि विभाग ने कैण्डीडेट को नियुक्ति ज्वाईन करने के लिए पूरा मौका दे दिया है तथा जल्दबाजी में कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

4. आपसे अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त हिदायतों के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा यह हिदायतें सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में ला दी जाएं ।

भवदीय,
हस्ता/-
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं

पृष्ठ क्रमांक 5024-1 जी: एस: 1-72/26878, दिनांक चण्डीगढ़ 8-9-72

एक-एक प्रति निम्नलिखित को हरियाणा सरकार के पृ: क्रमांक 23-41-1 जी: एस: 1-72/15726, दिनांक 26-5-1972 के क्रम में सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू जाती है।

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, अम्बाला और सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश। उन से अनुरोध है कि वे इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन करें तथा इस पत्र की पावती भेजें।

हस्ता/–
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति निम्नलिखित को इस विभाग के प्रशा0 क्रमांक 2311-1 जी: एस: 1-73/15728, दिनांक 26-5-1972 के क्रम में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है।

1. हरियाणा के सभी वित्तायुक्त, तथा

3. हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।

हस्ता/–
उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।